माननीय ए. पी. चौधरी और जवाहर लाल गुप्ता, जे. जे.

बीर सिंह कादियान और अन्य- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाता*

*CWP.*12568 of 1993

26 अप्रैल, 1994

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226/227—कर्मचारियों *को पूर्वव्यापी* प्रभाव *के साथ पदोन्नति मंजूर -उनके वेतन, पेंशन आदि के पुनर्निर्धारण के लिए दावा।—ऐसे दावे की स्वीकार्यता।*

यह अभिनिर्णीत किया गया कि जब भी कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी पदोन्नति के अनुदान का हकदार पाया जाता है, तो वह अपने वेतन के पुनर्निर्धारण और वेतन अवशिष्ट अनुदान का हकदार होता है।
(पैरा 9),

इसके अलावा यह अभिनिर्णित किया गया कि यह केवल 'नियमों' उत्तरदाताओं की नियमों के अनुसार कार्य करने में विफलता या मुक़दमा की लंबितता के कारण है की नियत तारीख़ों या पोस्टिंग से उनके पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए गये थे। नतीजतन, वे उच्च पदों पर काम करने के अधिकार से वंचित थे। यदि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बावजूद उच्च पदों पर काम करने से इनकार कर दिया था कि उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, तो प्रतिवादी के लिए यह तर्क देना संभव हो सकता था कि वे वेतन अवशिष्ट के हकदार नहीं हैं। हालांकि यह स्तिथि नहीं है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर *से हरीश राठी, अधिवक्ता*

आर. सी. सेतिया, ए 'ए. डी. *एल.ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।*

न्याय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) क्या वे याचिकाकर्ता हैं जिन्हें पदोन्नति दी गई *है-30* नवंबर, 1992 के आदेश के अनुसार, पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और वेतन अवशिष्ट भुगतान आदि के पुनर्निर्धारण के हकदार हैं? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है।

(2) याचिकाकर्ता शुरू में जूनियर इंजीनियर के रूप में सेवा में शामिल हुए थे। उन्हें 28 जनवरी, 1982 को उप-मंडल अभियंताओं के पदों पर पदोन्नत करने का आदेश दिया गया था। हालाँकि, मुकदमेबाजी के कारण, नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए गए थे। नतीजतन, याचिकाकर्ता उच्च पदों पर काम नहीं कर सके।

(3) मुकदमेबाजी की प्रक्रिया अंततः 11 नवंबर, 1992 को समाप्त हो गई, जब सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों ने 1990 की दीवानी याचिका सं 3837 से उत्पन्न याचिकाओं में कुछ निर्देश दिए। इसके बाद, हरियाणा राज्य ने 30 नवंबर, 1992 को एक आदेश जारी किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न तिथियों से पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किया गया। हालाँकि, इस आदेश में, अन्य बातों के *साथ साथ* यह उल्लेख किया गया था कि "जिन अधिकारियों को पदोन्नति की मानित तिथियाँ पहले दी गई हैं, उन्हें वेतन और भत्तों का कोई अवशिष्ट भुगतान नहीं किया जाएगा।" याचिकाकर्ता आदेश में इस शर्त से व्यथित हैं।

(4) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश राठी को सुना है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को उच्च पदों पर काम करने के अधिकार से अवैध रूप से वंचित किया गया था। मुकदमेबाजी विचाराधीनता होने के कारण, वे सेवा से सेवानिवृत्त भी हो चुके थे। हालाँकि, पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए उनके दावे को उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों द्वारा भी कायम रखा गया है, इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है, और याचिकाकर्ताओं को वेतन अवशिष्ट भुगतान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों के पुनर्निर्धारण का अधिकार है। दूसरी ओर, प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता श्री आर. सी. सेतिया ने तर्क दिया है कि 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत को अदालतों द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है और चूंकि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में उच्च पदों के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया था, इसलिए वे वेतन का दावा नहीं कर सकते हैं।

(5) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी उच्च पदों पर काम करने से इनकार नहीं किया था। यह केवल नियमों के अनुसार कार्य करने में प्रतिवादी की विफलता या मुकदमेबाजी विचाराधीनता होने के कारण है कि नियत तिथियों या नियुक्ति से उनकी पदोन्नति के आदेश जारी नहीं किए गए थे। नतीजतन, वे उच्च पदों पर काम करने के अधिकार से वंचित थे। यदि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बावजूद उच्च पदों पर काम करने से इनकार कर दिया था कि उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, तो प्रतिवादी के लिए यह तर्क देना संभव हो सकता था कि वे वेतन अवशिष्ट के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, यह स्थिति नहीं है। तदनुसार, सैद्धांतिक रूप से हम पाते हैं कि 30 नवंबर, 1992 के आदेश में आक्षेपित शर्त का कोई आधार नहीं है।

(6) इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों के निर्देशों के अनुपालन में ही पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। वास्तव में नियमों और निर्देशों की व्याख्या के संबंध में विवाद मौजूद था जिसे सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्ड्सहिप्स द्वारा 1990 के दीवानी याचिका *सं*3837 में 7 अगस्त, 1990 के फैसले के माध्यम से हल किया गया था। फिर भी, निर्देशों का पालन नहीं किया गया और विभिन्न अंतर्वर्ती आवेदन और 1991 की अवमानना याचिका संख्या 79 दायर की गई। इन्हें उनके अधिपतियों द्वारा 11 नवंबर, 1992 *के* आदेश के अनुसार निपटाया गया था। याचिकाकर्ताओं को उनके अधिपतियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार वे प्रतिवादी द्वारा अब निर्धारित तिथियों से प्रभावी रूप से पदोन्नत होने के हकदार थे। यदि अब याचिकाकर्ताओं को वेतन और अन्य परिणामी लाभों अवशिष्ट से वंचित कर दिया जाता, तो वे लड़ते और व्यर्थ प्रतीक्षा करते। यह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। कानून की स्थिति ऐसी नहीं है। हम यह मानने के लिए खुद को राजी नहीं कर सकते कि भले ही वर्ष 1980 या उसके बाद पदोन्नति से इनकार करना पूरी तरह से अवैध था, अधिकारी वेतन अवशिष्ट के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें उच्च पदों पर काम करने की अनुमति नहीं थी। यह काफ़ी अपमानित होगा।

(7) एक और सिद्धांत है।लॉर्ड एस्किथ ईस्ट एंड *ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनामफिन्सबरी बरो*काउंसिल *(1) ने पृष्ठ* 132 पर निम्नलिखित टिप्पणी की थीः—

> "यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो आपको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने से मना न किया जाए।

(1) (1932) ए. सी. 109

> उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक रूप से कल्पना करें जो, यदि अनुमानित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से उससे या उसके साथ प्रवाहित हुई होगी। अधिनियम कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, आपको उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम की बात आने पर अपनी कल्पना को चकित करना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि लॉर्डशिप्स एक अधिनियम के निर्माण में कानूनी कल्पना की बात कर रहा थे। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होने का कोई कारण नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष तिथि से प्रभावी रूप से पदोन्नत किया गया माना जाता है, तो उसे आम तौर पर उच्च पद पर रखा और काम किया हुआ माना जाना चाहिए। अतः उसे वेतन अवशिष्ट भुगतान का भी अधिकार होना चाहिए।

(8) कर्मचारी के उच्च पद का वेतन प्राप्त करने के अधिकार को अब भारत संघ आदि बनाम के. वी.-जानकीरमन (2) में सर्वोच्च न्यायालय के *लॉर्डशिप द्वारा मान्यता दी* गई *है। यहां तक कि* पालुरू रामकृष्णैया और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य (3) *के फैसले से जो* संदेह *पैदा हुआ था, वह भी* अब स्पष्ट हो गया है।

(9) तदनुसार, हम मानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पूर्वव्यापी पदोन्नति के अनुदान का हकदार पाया जाता है, तो वह अपने वेतन के पुनर्निर्धारण और वेतन अवशिष्ट अनुदान का हकदार होता है। सीमा पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। आदेश में आक्षेपित शर्त को अलग रखा गया है। प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं के वेतन को फिर से निर्धारित करने और उन्हें वेतन के सभी अवशिष्ट का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। यहां तक कि उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को भी फिर से तय किया जाएगा। अवशिष्ट राशि का भुगतान किया। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(2) ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2011.
(3) 1990 (1) आर एस जे 238.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा